

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.I. 33002/99

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204

No. 196]

DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/ PAUSHA 3, 1935

[N.C.T.D. No. 204

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिनांक, 24 दिसम्बर, 2013

फा. सं. 50(29)/97/डीसी/स्था0/17777:-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डी (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25.4.1998 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 53/149/96-एमएंडपीएच के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन औषधि नियंत्रण विभाग में औषधि निरीक्षक के पद के लिये निम्नलिखित गती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (क) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, औषधि निरीक्षक के गती नियम, 2013 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

5381 DG/2013

Establishment Branch
No. 3039 29/11/14

SHM
SSOCHG
G.V.

ACV

CHV
29/11/14

OS

गृह (सामान्य) विभाग
अधिसूचना

दिनांक, 24 दिसम्बर, 2013

एफ.सं.1/16/2007/गृ०पु० (सा०)/5409.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा ।
- (2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।
2. नियम 8 का संशोधन:- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा अर्थात:-

यह भी शर्त है कि कार्यकाल बीतने के बाद गृह रक्षक स्वयं सेवक, जो मानसिक रूप से चौकस है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, अनुशासित और दिल्ली गृह रक्षक में एक स्वयं सेवक के रूप में अपने पूर्व सेवाकाल में संतोषजनक कार्य प्रदर्शन किया हो, वे गृह स्वयं सेवकों के रूप में नामांकन के लिए नए सिरे से प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
इंदु सिन्हा, उप सचिव

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated, the 24th December, 2013

F.No. 1/16/07/HG/5409. In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guard Act, 1947, as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules 1959, namely:-

1. Short title commencement - (1) These rules may be called the Delhi Home Guard (Amendment) Rules 2013.
- (2) They shall be come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of rule 8- In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in rule 8, the following proviso shall be added in the end, namely:-
"Provided also that after the expiry of the terms, the Home Guard Volunteers who are mentally alert, physically fit, well disciplined and have shown satisfactory performance during their previous tenure of service in Delhi Home Guard as a volunteer may apply as a fresh candidate for enrolment of Home Guard Volunteers."

By order and in the name of the
Lt. Governor of the N.C.T. of Delhi,
INDU SINHA, Dy. Secy.